

रियायती दर पर चीनी

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | योजना का नाम | रियायती दर पर चीनी का वितरण |
| 2. | योजना का संक्षिप्त परिचय | राज्य की बीपीएल परिवारों (अन्त्योदय सहित) को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध कराई जाती है। |
| 3. | प्रारम्भ होने का वर्ष | पुरानी योजना है। |
| 4. | लाभान्वित वर्ग | बीपीएल परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवार |
| 5. | पात्रता | बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार |
| 6. | देय सुविधाएं | 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रतिमाह 24.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से (चीनी की मात्रा एवं दर समय-समय पर परिवर्तनीय है)। |
| 7. | आवेदन का तरीका | बीपीएल एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारक |
| 8. | आवेदन कहां किया जायें | क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया जा सकता है। |
| 9. | आवेदन के साथ औपचारिकताएं | राशन कार्ड प्रस्तुत कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। |
| 10. | सम्पर्क सूत्र | सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार / प्रवर्तन निरीक्षक / प्रवर्तन अधिकारी / जिला रसद अधिकारी / जिला कलक्टर |